अति महत्वपूर्ण

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665, ईमेल- dpswbpl@nic.in

क्रं./सा.सहा./2019/ 1024 भोपाल, दिनांक /06/2019
01-7-2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत

मध्यप्रदेश।

विषय :- पेंशन योजनाओं में पात्रतानुसार पात्र व्यक्ति को ही पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- सा.सहा./02/2018/964 दिनांक 23/05/2018

विषयांतर्गत लेख है कि शासन द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत सचिव एवं नगरीय निकायों में आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत/नगर परिषद को दिये गये है।

पेंशन पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में नवीन स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया है कि प्रतिमाह लगभग 58,000 से अधिक नवीन पेंशन स्वीकृत हुये है। नवीन स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हितग्राही वास्तव में योजना की शर्तो को पूर्ण कर रहे है एवं शासन द्वारा निर्धारित किये गये दस्तावेज आवेदन के समय दिये गये है।

समग्र डेटाबेस योजना के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है किंतु केवल समग्र पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम पात्रता की सूची में आता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति पेंशन हेतु वास्तव में पात्र हों। अत: प्रथमदृष्ट्या पात्र होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पेंशन स्वीकृत नहीं की जाये। शासन द्वारा निर्धारित किये गये दस्तावेज के आधार पर ही पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जाये। आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का संधारण नस्ती में किया जाये।

अत: उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्धारित किये गये दस्तावेज के आधार पर ही पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही की जाये। किसी भी अपात्र व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने अथवा पात्र व्यक्ति की पेंशन को अस्वीकृत करने पर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

1/7/19

(मनोज नाथम)
उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृ.क्र./सा.सहा./2019/ 1025 भोपाल, दिनांक /06/2019
01-07-2019

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.।
2. समस्त संयुक्त व उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग।
3. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, प्रतिमाह नवीन स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा करें एवं दस्तावेजों के आधार पर ही पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही करावें।

1/7/19

उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.